# न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
## जिला चित्तौड़गढ
### पीठासीन अधिकारी राजेश सुवालका (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/03/2020 दायर दिनांक 13.02.2020

उनवान

1. कालुसिंह पिता अमरसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी उचनार खुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. मु० भागुकुँवर पत्नि अमरसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी उचनार खुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

—— वादीगण

बनाम

1. रूपसिंह पिता भोपालसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी उचनार खुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. गुडीकुँवर पत्नि रूपसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी उचनार खुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

—— प्रतिवादीगण

—: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट :—

निर्णय दिनांकः 02.01.2025

—:निर्णयः—

वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत् निम्न निवेदन के साथ पेश किया गया कि मौजा आली तहसील कपासन में आराजी खसरा नम्बर 95, 101, 110 कुल कीता 03 कुल रकबा 0.66 हैक्टर स्थित है जो राजस्व रेकार्ड में वादीगण स्वयं की खातेदारी से दर्ज होकर वादीगण के कब्जे एवं अधिकार में होकर वादीगण उपयोग उपभोग कर रहे है। वादी संख्या दो उम्र से काफी वृद्ध होने से आराजीयात की समस्त देखभाल वादी संख्या एक ही कर रहा है। अतः वादीगण ने प्रार्थना की कि—

— पक्ष वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री इस अमर की जारी फरमाई जावे कि वाद पत्र की कॉलम संख्या एक में वर्णित मौजा आली में स्थित कृषि आराजीयात खसरा नम्बर 95, 101, 110 वादीगण की खातेदारी व कब्जे अधिकार की आराजीयात में किसी प्रकार की दस्तन्दाजी नहीं करे एवं वादीगण को फसल आदि काश्त करने में किसी प्रकार की रूकावट पैदा नहीं करे एवं जमीन पर जबरन कब्जा नहीं करे एवं मवेशी आदि वादीगण की आराजीयात में प्रवेश नहीं करावे एवं आराजीयात की हिफाजत के लिये लगे थोहरो की बाड एवं आराजीयात में खडे वृक्षो को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहूँचावे। प्रतिवादीगण न ही ऐसा अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य, नौकर, एजेन्ट आदि से ही करावे।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। वकील प्रतिवादी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने से आज दिनांक को जवाब बन्द किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी गई।

हमने सम्पूर्ण पत्रावली, दस्तावेजों का अवलोकन किया। की गयी बहस पर मनन किया। बहस बकील वादीगण ने निवेदन किया कि वादवर्णित आराजीयात वर्तमान में वादीगण

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

नाम दर्ज रेकार्ड है। जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 से 2 द्वारा उक्त खातेदारी व कब्जे अधिकार की आराजीयात में मवेशी घुसा कर नुकसान पहुँचा देते है एवं खडे वृक्षों व थोहरो की बाड को भी हानि पहुँचा देते है एवं वादीगण द्वारा मना करने पर लडाई झगडा करने पर आमदा होते है। इस कारण प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा का आदेश जारी किया जाना आवश्यक है। अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जावें। हमने प्रस्तुत जमाबन्दी का अवलोकन किया जिसमें वादीगण संयुक्त खातेदार दर्ज रेकार्ड है।

अतः प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर वाद पत्र स्वीकार किया जाकर यह निर्णय दिया जाता है कि मौजा आली तहसील कपासन में आराजी खसरा नम्बर 95, 101, 110 कुल किता 03 कुल रकबा 0.66 हैक्ट0 स्थित है में प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से इस आशय से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण की खातेदारी व कब्जे अधिकार की आराजीयात में किसी प्रकार की दस्तन्दाजी नहीं करे एवं वादीगण को फसल आदि काश्त करने में किसी प्रकार की रूकावट पैदा नहीं करे एवं जमीन पर जबरन कब्जा नहीं करे एवं प्रतिवादीगण न ही ऐसा अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य, नौकर, एजेन्ट आदि से ही करावे। खर्चा पक्षकारान आपना--अपना वहन करें। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कपासन
जिला-चित्तौड़गढ़

(सहायक कलेक्टर)
(सहायक अधिकारी व
उपखण्ड अधिकारी कपासन